निजी कोचिंग संस्थानों को अब शिक्षक से चपरासी तक बतानी होगी योग्यता

नए नियमों में पंजीकरण के लिए 10 हजार और नवीनीकरण के लिए पांच हजार रुपये शुल्क तय

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों के लिए अब सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि गैर-शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता का ब्योरा देना भी अनिवार्य होगा। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और नियमन के लिए मंगलवार को नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत बिना पंजीकरण कोचिंग संस्थान चलाना मुश्किल होगा।

नए नियमों के अनुसार पंजीकरण के आवेदन में संस्थान को शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व बायोडाटा के साथ परामर्शदाता और गैर शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता व उनका बायोडाटा भी देना होगा। संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराना होगा।

मान्यता प्राप्त या अनुमोदित शब्दों पर पाबंदी : संस्थान अपनी वेबसाइट पर निर्धारित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। विज्ञापन में मान्यता प्राप्त या अनुमोदित जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई के समय कोचिंग कक्षाएं चलाने पर भी रोक रहेगी।

पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा

नए कोचिंग संस्थान के पंजीकरण के लिए 10 हजार रुपये और नवीनीकरण के लिए पांच हजार रुपये शुल्क देना होगा। पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा जबकि नवीनीकरण एक साल के लिए होगा। जिला प्राधिकरण आवेदन की 30 दिन में जांच करेगा। कमी मिलने पर संस्थान को 10 दिन में उसे दूर करने का मौका मिलेगा।

- नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों को पाठ्यक्रम, अवधि, फीस, फीस वापसी, प्रत्येक बैच में छात्रों की अधिकतम संख्या और सुविधाओं का पूरा ब्योरा देना होगा। पेयजल, अलग शौचालय, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, पार्किंग, पुस्तकालय, वाई-फाई, कंप्यूटर लैब आदि की स्थिति भी बतानी होगी। कोचिंग संस्थानों को अवधि खत्म होने से एक महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

चुलकाना धाम का प्रबंधन संभालेगा बोर्ड, दो महिलाएं भी होंगी सदस्य

चंडीगढ़। पानीपत में चुलकाना के प्रसिद्ध श्री श्याम बाबा धाम के प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने नए विधेयक का आधिकारिक मसौदा जारी किया है। इसके तहत मंदिर व उससे जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। खास बात यह है कि बोर्ड में नामित किए जाने वाले सात सदस्यों में ऐसी दो महिलाएं होंगी जिन्होंने महिला उत्थान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को विधानसभा में पेश करेंगे। विधेयक के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष शहरी स्थानीय निकाय मंत्री होंगे। पानीपत के उपायुक्त सदस्य सचिव होंगे। समालखा के एसडीएम को बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। सरकार सात सदस्यों को नामित करेगी।

इनमें धर्म और संस्कृति, महिला कल्याण व प्रशासन, कानून और वित्त जैसे क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जाएगा। बोर्ड में एक ऐसे व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जाएगा जिसकी हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अच्छी पहचान हो। इसके अलावा चुलकाना की श्री श्याम मंदिर सेवा समिति की ओर से एक प्रतिनिधि को भी बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा।

बोर्ड मंदिर की संपत्तियों, दान और पूजास्थल निधि का प्रबंधन करेगा। इस राशि का इस्तेमाल मंदिर के रखरखाव, पूजा-पाठ, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, शिक्षा व तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाएगा। संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए रजिस्टर बनाया जाएगा व उसका हर साल सत्यापन होगा। खातों का सालाना ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया जाएगा। विधेयक में पुजारियों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। मौजूदा पुजारियों के अधिकार समाप्त होने के बाद मुआवजे की सिफारिश के लिए अधिकरण बनाया जाएगा। ब्यूरो

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल मानसून सत्र में पेश करेंगे विधेयक

स्कूलों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

मंत्री ने बुनियादी ढांचे व पढ़ाई की समीक्षा की

चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने मंगलवार को उच्चतर व स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता तक की समीक्षा की।

उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिक्षकों के साथ ही अन्य कर्मचारियों की कमी का ब्योरा तैयार करने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से समन्वय बनाकर लंबित भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। कांकरीच जनता पार्टी (सीजेपी) के स्कूल ठीक करो अभियान के बाद विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों का आधारभूत सुविधाओं को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है। अब इसी के आधार पर जिलेवार जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क की खरीद प्रक्रिया चल रही है। विभाग का लक्ष्य नवंबर 2026 तक सभी पात्र स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का है। वहीं 250 सीएम-ईईई स्कूलों को विशेष विकास योजनाओं के जरिए राज्य के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने का अवसर भी दिया जा रहा है। फ्रांस के दूतावास के सहयोग से 60 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 26 स्कूलों में फ्रेंच की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जर्मन भाषा के लिए 80 शिक्षकों का चयन कर प्रशिक्षण चल रहा है।

निपुण हरियाणा मिशन का कक्षा पांचवीं तक विस्तार : निपुण हरियाणा मिशन का विस्तार कक्षा पांच तक किया गया है। फिलहाल इसे कक्षा चार तक लागू किया जा रहा है। बालवाटिका-3 से कक्षा चार तक डिजिटल मूल्यांकन हो चुका है। राजकीय कॉलेजों में भी बुनियादी ढांचा मजबूत कर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो

स्कूलों में 18,540 पद हैं खाली

कुल स्वीकृत पद	1,16,331
नियमित कर्मचारी कार्यरत	91,554
नियमित पदों की कमी	24,777
एचकेआरएन से भरे पद	6,237
कुल खाली पद	18,540
श्रेणीवार शिक्षकों के खाली पद	
शिक्षक	खाली पद
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	8,126
स्नातकोत्तर शिक्षक	6,016
प्राथमिक शिक्षक	3,051
प्राचार्य व हेडमास्टर	1,347

चावल मिल मालिकों ने की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात

चंडीगढ़। हरियाणा के राइस मिलरों के बकाया 6.69 लाख मीट्रिक टन चावल की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के माध्यम से वापस न लिए जाने का मामला केंद्रीय कृषि मंत्रालय तक पहुंच गया है।

मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राइस मिलरों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस प्रकरण में राहत देगा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज से प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान अमरजीत छाबड़ा, राज्य महासचिव राजेंद्र सिंह, राइस मिलर मदनमोहन ने मुलाकात की। एसोसिएशन के राज्य प्रधान अमरजीत ने बताया कि हरियाणा में कुल 55 लाख मीट्रिक टन धान की पिछले वर्ष खरीद का लक्ष्य था। मगर यही खरीद करीब 62 लाख मीट्रिक टन तक हुई।

अभी लक्ष्य से अधिक धान से तैयार 6.69 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई वापस नहीं ले रही है। इसलिए केंद्र सरकार से 55 लाख मीट्रिक टन से 62 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य करने की मांग रखी गई है। राज्य प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद यही उम्मीद है कि जल्द ही राहत मिल सकती है। ब्यूरो

Ph: 01744-230134

कार्यालय मार्किट कमेटी, पिपली (कुरूक्षेत्र)

---: निलामी सूचना:---

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मार्किट कमेटी, पिपली द्वारा नई अनाज मण्डी पिपली में 01-09-2026 से 31-08-2027 तक आने वाली फसलों जैसे कि गेहूं, सूरजमुखी, मक्की व जीरी के बकाया झार/कबाड़ जैसा है जितना है (संभावित) को उठाने का कार्य ठेके पर देना है जिसकी खुली निलामी की कार्यवाही दिनांक 03-09-2026 को दोपहर बाद 01:00 बजे मार्किट कमेटी पिपली के कार्यालय परिसर में शुरू होगी। जमानत राशि नकद के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। इच्छुक बोली दाताओं को 1,00,000/- रूप्ये (एक लाख रूप्ये) जमानत राशी के रूप में बैंक ड्राफ्ट केवल मार्किट कमेटी पिपली के पक्ष में बोली की निश्चित तिथि को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाने होंगे । बोली प्रक्रिया समाप्त होने के तुरन्त बाद असफल बोली दाता की जमानत राशि वापिस कर दी जाएगी और सफल बोली दाता की जमानत राशी ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। अवधि समाप्त होने से पहले यह राशि समायोजित नहीं की जायेगी । बोलीदाता बोली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपने साथ चैक बुक, आधार कार्ड/पहचान पत्र, पैन कार्ड अवश्य लेकर आये। बोली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ठेकेदार स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज कर भी शामिल हो सकता है। निलामी की अन्य शर्ते मौके पर सुना दी जायेगी या शर्तों बारे जानकारी किसी भी कार्यदिवस को दूरभाष पर या कार्यालय मार्किट कमेटी पिपली में संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकरी,
मार्किट कमेटी, पिपली (कुरूक्षेत्र)
Ph: 01744-230134

चेयरमैन मार्किट कमेटी
पिपली (कुरूक्षेत्र)

SAMVAD:- 1284/11/1269/2027/48603/C/1/6 Dt. 25/08/2026

सत्र से पहले सीएम ने बुलाई मंत्रियों-विधायकों की बैठक

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र में विपक्ष के संभावित हमलों और सवालों का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र से पहले बुधवार शाम मंत्रियों और भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई है।

बैठक शाम छह से आठ बजे तक होगी। इस दौरान रात्रिभोज का भी आयोजन रखा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा करेंगे। खास तौर पर सरकार की ओर से उन मुद्दों पर मजबूत तैयारी है जिन मुद्दों पर विपक्ष ने घेरने की तैयारी की है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब पूरी तैयारी के साथ रखने के निर्देश देंगे ताकि सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। विपक्ष भी मानसून सत्र को लेकर पहले से तैयारी में जुटा है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक कर सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा कर ली है। बुधवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है।

विपक्ष गेस्ट टीचर, बैंक घोटाला, एचकेआरएन समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी बहस होने के आसार हैं। भाजपा की बैठक में विधायकों को भी अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखने की रणनीति बनाई जाएगी।

सरकार का प्रयास रहेगा कि विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाए और किसी भी मुद्दे पर उसे घेरने का मौका न मिले। मानसून सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों, किसानों, कर्मचारियों और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ब्यूरो

सरसों का तेल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बंटेगा

चंडीगढ़। सरकारी राशन डिपुओं पर जुलाई के अंत में बचा सरसों का तेल अब पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बांटा जाएगा। प्रदेश सरकार ने अगस्त से डिपुओं के माध्यम से सरसों के तेल की नई आपूर्ति बंद कर दी है। इसके बावजूद प्रदेशभर के डिपुओं पर करीब 20,23,874 लीटर सरसों के तेल का स्टॉक बचा हुआ है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक ने पत्र जारी किया है। डिपो संचालक लंबे समय से इसके वितरण की मांग कर रहे थे। ब्यूरो

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	आरंभिक तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनुमानित) रु. में	बोर्ड/निगम प्राधि. की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/संपर्क जानकारी/ईमेल
1	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार	सीसीएसएचएयु, हिसार में सेंट्रल स्टोर (ई) में इलैक्ट्रीकल वस्तुओं की आवश्यकता + सेंट्रल स्टोर पब्लिक हेल्थ, सीसीएस, एचएयु, हिसार में पीएच वस्तुओं की खरीद।	26.08.2026 01.09.2026	80 LACS	https://hau.ac.in	01662-255233 xen-c1@hau.ac.in

अग्रिम जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in पर जाएं।
PRDH:-13/2027/40/48585/I/1/6 Dt.25/08/2026

चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
(संसद अधिनियम 16, 1970 द्वारा स्थापित)

ई-टेंडर सूचना

निदेशक फार्म, सीसीएस एचएयू, हिसार केंद्रीय स्तर पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय में विभिन्न फील्ड ऑपरेशन/कार्य (फार्म एरिया, रिसर्च फार्म एरिया और पल्लेदारी कार्य) के लिए पुनः ई-टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी और ई-टेंडरिंग/टेंडर शेड्यूल के लिए कृपया वेबसाइट **http://etender.hry.nic.in** और विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://hau.ac.in** देखें।
निविदाएं तैयार करने की शुरुआत, निविदाजमा करने की अंतिम तिथि, तकनीकी बोलियों को खोलने और वित्तीय बोलियों को खोलने की तिथियाँ निम्नानुसार हैं:-

निविदा प्रकार	निविदाएं जमा करने की आरंभ तिथि	निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि	निविदाएं खोलने की तिथि
फार्म क्षेत्र की निविदाएं शोध फार्म क्षेत्र की निविदाएं पल्लेदारी कार्यों की निविदाएं	26.08.2026	01.09.2026	02.09.2026

नोट:
1. सभी अपडेट, संशोधन, शुद्धिपत्र आदि (यदि कोई हो) केवल सीसीएस एचएयू वेबसाइट/निविदा वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। समाचार पत्रों या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से इसका कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।
2 इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली की समाप्ति तिथि और समय से 48 घंटे या उससे पहले बोली सुरक्षा/ईएमडी ऑनलाइन जमा करें ताकि भुगतान सत्यापित हो सके। -निदेशक फार्म

SAMVAD:- 1234/11/105/2027/48589/C/1/6 Dated-25/08/2026

प्रदेश में 320 तालाबों का किया जाएगा नवीनीकरण

चंडीगढ़। हरियाणा में 320 तालाबों के नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे। जल्द ही 467 नए तालाबों के निमार्ण का कार्य भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए यह निर्देश दिए हैं। हर गांव में तालाबों के रखरखाव के लिए समिति बनाई गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को ग्रामीण तालाबों को स्वच्छ व सुंदर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों में गंदा पानी सीधे नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे वैज्ञानिक तरीके से उपचारित कर ही तालाबों में पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 20,100 तालाब हैं जिनमें 19,219 ग्रामीण और 881 शहरी क्षेत्रों में हैं। प्रदूषित और ओवरफ्लो हो रहे तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांवों के ग्रे और ब्लैक पानी के उपचार की रणनीति भी बनाई जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की व्यवस्था के लिए भी कार्य किया जाएगा। तालाब में पानी पहुंचने से पहले आवश्यक पूर्व-उपचार सुनिश्चित किया जाए। ब्यूरो

मनोरंजन, सिनेमाजगत की हर खबर amarujala.com पर

सार्वजनिक सूचना

हम आशा रानी, शौकत अली, रहमत अली पत्नी/पुत्र रतन लाल के वारिस है। जोकि अपने पिता रतन लाल की मृत्यु के उपरांत नगरपालिका दुकान / प्लॉट प्रोपर्टी आई. डी. नं. 7YB2GPM5, वार्ड नं. 4 नगरपालिका रिकॉर्ड में वारिसान आधार पर अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। अगर उक्त विषय के बारे किसी का भी कोई एतराज है तो वह अपना एतराज मय सबूत लिखित रूप में 30 दिनों के अन्दर अन्दर कार्यालय नगरपालिका साढ़ौरा में जमा करवा सकते है। इस अवधि के उपरांत कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी।

सचिव, नगरपालिका, सढ़ौरा

खुशहाल बागवानी
बगवानी प्रशिक्षण हेतू आवेदन आमन्त्रित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार, उद्यान प्रशिक्षण संस्थान, उचानी करनाल में सिंतबर माह में विभिन्न विषयों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा राज्य के सभी जिलों के किसान नीचे दी गई पंजीकरण करने तिथि की अंतिम तक उद्यान विभाग की वेबसाइट http://kaushal.hortharyana.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यकम के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। रजिस्टर्ड किसान अपने जरूरी कागजात आधार कार्ड, बैंक पास बुक तथा पैन कार्ड लेकर आएं। प्रशिक्षणार्थियों को बस किराया DBT द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ठहरने व खाने की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विषयों पर पूर्व में प्रशिक्षण ले चुके किसान पुनः उन्ही विषयों पर पंजीकरण न करवायें। चयन की प्रकिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। सिंतबर माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची निम्नलिखित है।

महीना	दिनांक	अवधि (दिवस)	विषय	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रति ट्रैनिंग	पंजीकरण करने की अंतिम तिथि व समय
सितंबर	07-11 सितंबर 2026	5	सब्जियों व फूलों की संरक्षित खेती व पोली हाउस के रख-रखाव पर प्रशिक्षण कार्यकम	40	06.09.2026 सांय 5:00 बजे
	14-18 सितंबर 2026	5	सब्जी फसल उत्पादन की तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	40	13.09.2026 सांय 5:00 बजे
	21-25 सितंबर 2026	5	बगवानी फसलों में तुडाई उपरान्त प्रबंधन व प्रसंस्करण प्रौधोगिगा पर प्रशिक्षण कार्यकम	40	20.09.2026 सांय 5:00 बजे
		5	Nursery Management as per HHN Rules-2026	20	20.09.2026 सांय 5:00 बजे
	28 सितंबर-02 अक्तूबर 2026	5	खुम्ब उत्पादन एवं तुडाई उपरान्त प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यकम	40	27.09.2026 सांय 5:00 बजे

नोट:-प्रार्थी अधिक जानकारी के लिए कार्य दिवस में प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक संपर्क कर सकते है। **संपर्क: 8570077877**

प्रधानाचार्य,
उद्यान प्रशिक्षण संस्थान, उचानी करनाल

PRDH:- 1149/11/1181/2027/48574/1/6 Dt.25/08/2026

एनटीपीसी-सेल पावर कम्पनी लिमिटेड
(एनटीपीसी एवं सेल का संयुक्त उद्यम)

विज्ञापन 02/2026

गेट-2027 के माध्यम से इंजीनियरिंग कार्यपालक प्रशिक्षु-2027 की भर्ती

एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल), दो महारत्न कंपनियों, एनटीपीसी लिमिटेड एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का एक प्रतिष्ठित संयुक्त उपक्रम है। एनएसपीसीएल भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में विद्युत उत्पादन इकाइयों का संचालन करती है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1119 मेगावाट है। कंपनी सेल की इकाइयों तथा अन्य लाभार्थियों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अपने परिचालन संबंधी आवश्यकताओं एवं भविष्य की विकास योजनाओं के अनुरूप, एनएसपीसीएल **गेट-2027** के माध्यम से **इंजीनियरिंग कार्यपालक प्रशिक्षु-2027** के पदों पर भर्ती हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख रखने वाले प्रतिभाशाली, ऊर्जावान एवं समर्पित युवा स्नातक अभियंताओं से आवेदन आमंत्रित करती है।

मैकेनिकल (एमई), इलेक्ट्रिकल (ईई), इलेक्ट्रॉनिक्स (ईसी), इंस्ट्रुमेंटेशन (आईएन)

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऊपर बताए गए इंजीनियरिंग विषयों में से किसी एक में **ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट)-2027** परीक्षा में शामिल होना चाहिए।

गेट-2027 में प्रदर्शन और संगठन की जरूरतों के आधार पर उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ईईटी-2027 भर्ती के लिए पिछले वर्षों के गेट अंक या किसी अन्य परीक्षा के अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। गेट-2027 के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट **https://gate2027.iitm.ac.in/** पर उपलब्ध है।

एनएसपीसीएल उन उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक और विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा जो गेट-2027 परीक्षा में शामिल होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सही तिथि और समय की जानकारी उचित समय में वेबसाइट **www.nspcl.co.in** के करियर सेक्शन में दी जाएगी। उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

*** यहाँ बताई गई आवश्यकता संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी समय बदली जा सकती हैं। कंपनी के पास बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए वर्णित विषयों/पदों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बदलने, उनमें संशोधन करने, उनकी संख्या बढ़ाने या घटाने, या उन्हें रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। कोई भी आगे का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/अपडेट केवल हमारी करियर वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

NSPCL/HR-Rectt/02/26 Invicta

यूको बैंक UCO BANK
सम्मान आपके विश्वास का — Honours your trust

जोनल कार्यालय: पुरानी जी.टी रोड दुर्गा मंदिर काम्पलैक्स, प्रथम तल, निकट बस स्टैंड, करनाल-132001,
फोन: 0184-4020154, ई-मेल: zo.haryana@uco.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
ईएमडी व दस्तावेजों को जमा करवाने की अंतिम तिथि एवं समय 10.09.2026 अप. 4:00 बजे तक

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान सहित पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी) की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सर्वसाधारण एवं विशेषकर संबंधित ऋणकर्ता एवं गारंटर को एतदद्वारा सूचित किया जा रहा है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास रहन/प्रभारित अधोनिर्दिष्ट अचल संपत्तियों का सांकेतिक/भौतिक कब्जा यूको बैंक (प्रतिभूति लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है इसकी बिक्री यूको बैंक प्रतिभूति लेनदार को देय राशि की वसूली हेतु 11.09.2026 को **"जैसे है जहां है," "जैसे है जो है" एवं जो कुछ भी वहां है"** आधार पर की जाएगी। बिक्री निम्न वेबपार्टल पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री हेतु अनुसूची

क्र. सं.	ऋणकर्ता एवं गारंटर का नाम/ शाखा कार्यालय	रहनकार के नाम (संपत्ति का स्वामी) सहित संपत्ति का विवरण	कब्जा तिथि/ कब्जे का स्तर (भौतिक/सांकेतिक)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं ई-मेल आईडी
1.	शाखा कार्यालय : शाहबाद(2451) मै. एस ए इंटरनेशनल (प्रोप. प्रिंस अरोड़ा) तथा प्रिंस अरोड़ा तथा श्रीमती किरण अरोड़ा पत्नी श्याम सुंदर	सेक्टर-1, शहरी संपदा, शाहबाद मारकंडा, तहसील शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र में मकान सं. 148 द्वारा 180 वर्ग मी. अर्थात 215.28 वर्ग गज माप का आवासीय मकान।	सांकेतिक 30.10.2025	13.08.2025 Rs. 4260330.01 (30.06.2025 तक ब्याज) + भावी ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चे।	Rs. 17200000/- Rs. 1720000/- Rs. 20000/-	11.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे	श्री वरिन्दर सिंह Mob: 7807721810, Email: Shamar@uco.bank.in
2.	शाखा कार्यालय : जींद (2146) श्री. फकीर चंद पुत्र साधु राम और रोहित पुत्र फकीर चंद	राजेन्दर नगर, जींद में 120 वर्ग गज़ के प्लॉट पर बनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और वही प्रॉपर्टी नंबर 681-ए वार्ड नं. 5, राजेन्दर नगर (नया नंबर 572/5) के तहत म्युनिसिपल काउंसिल जींद के तहत है।	सांकेतिक 30.04.2024	19.02.2024 Rs.1646117.94/ (30.07.2026 तक ब्याज) + भावी ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चे।	Rs.2003000/- Rs.200300/- Rs.20000/-	11.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे	श्री हेमंत गिल Mob: 9467722123 Email: jind@uco.bank.in
3.	शाखा कार्यालय : एमसी पानीपत-0341 मै. दलबीर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह एवं सुश्री सुमित्रा देवी पत्नी दलबीर सिंह	1. एस.आर. पानीपत के कार्यालय में पंजीकृत सेल डीड नं. 13040 दिनांक 15.03.2007 द्वारा अबादी विकास नगर, गांव नंगल खेरी, एनएफएल कॉलोनी पानीपत के समीप तहसील व जिला पानीपत में स्थित खसरा नं. 19//2/1(2-18), 9(7-8), 12/1(2-1) में शामिल 12 कनाल 07 मरला माप की भूमि में से 00 कनाल-07 मरला-03 सरसई अर्थात 220 वर्ग गज अर्थात 22/741 भाग माप की भूमि पर निर्मित आवासीय मकान। **2.** एस.आर. पानीपत के कार्यालय में पंजीकृत सेल डीड नं. 57 दिनांक 05.04.2013 द्वारा एम.सी. सीमा तहसील व जिला पानीपत में अबादी विकास नगर, गांव नंगल खेरी एनएफएल कॉलोनी के समीप, वार्ड नं. 14, पानीपत में स्थित खेवत नं. 356 खतौनी नं. 429, किला नं. 19//2/1(2-18), 9(7-8), 12/2(2-1) में शामिल 125.00 वर्ग गज माप की भूमि, खाली प्लॉट।	सांकेतिक 12.08.2016	06.05.2016 Rs. 4377388.20/- (30.06.2026 तक ब्याज) + भावी ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चे।	Rs. 77,20,000/- Rs. 7,72,000/- Rs. 20,000	11.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे	श्री गौरव कपिल Mob: 9418210476 Email: panipa@ucobank.co.in
04	शाखा कार्यालय : समालखा (2452) श्रीमती रूबी पत्नी नईम हसन और श्री नामी हसन	मयूर विहार कॉलोनी पीर बाबा वाली गली के समीप, वार्ड नं. 5, हटलाना रोड, तहसील समालखा, जिला पानीपत में स्थित 70 वर्ग गज माप की दो मंजिला आवासीय संपत्ति।	भौतिक 29.08.2025	04.10.2024 Rs.1817438.60/- (31.07.2026 तक ब्याज) + भावी ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चे।	Rs.1631000/- Rs.163100/- Rs.20000/-	11.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 04.00 बजे	श्री अनिल कुमार Mob: 9147404329, Email:samalk@uco.bank.in

नियम एवं शर्तें:
1. बिक्री प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों निम्न वैबसाईट/वेबपोर्टल: I) **https://baanknet.com** में उपलब्ध/प्रकाशित है।
2. सम्पत्तियों की बिक्री **"जैसे है जहाँ है आधार" एवं जैसे है जो है आधार" एवं जो भी है जहाँ आधार"** पर की जाएगी।
3. उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन अथवा विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
4. बिक्री **दिनांक 11.09.2026** को पूर्वा.10.00 बजे से वैबसाईट **https://baanknet.com** पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।
5. बैंक के लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त करने पर स्व बोली करने एवं नीलामी में भाग लेने का विकल्प खुला है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत 15 दिन की संवैधानिक बिक्री सूचना

ऋणकर्ता/गारन्टरों में एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त निर्दिष्ट राशि के साथ-साथ अधतन ब्याज एवं अनुषांगिक खर्चों का भुगतान कर दे अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी एवं शेष देय यदि कोई है की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

दिनांक : 25/08/2026 — स्थान: करनाल — प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक